भवानीसिंह बनाम खेमाराम वगै.
मुकदमा नम्बर 0122 / 2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (नागौर)

पीठासीन अधिकारी : अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थीः—

भवानीसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत उम्र 45 वर्ष निवासी खारड़िया तहसील नावां।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. खेमाराम पुत्र नरसीराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
2. कमला पुत्री हनुमानराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
3. किशनीदेवी पुत्री हनुमानराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
4. ओमप्रकाश पुत्र हनुमानराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
5. गंगादेवी पुत्री नरसीराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
6. कन्हैयालाल पुत्र गुलाबचन्द जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी खारड़िया तहसील नावां।
7. गीतादेवी पत्नि गुलाबचन्द जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी खारड़िया तहसील नावां।
8. नेमीचन्द पुत्र गुलाबचन्द जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी खारड़िया तहसील नावां।
9. रतनलाल पुत्र गुलाबचन्द जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी खारड़िया तहसील नावां।
10. ललिता पुत्री गुलाबचन्द जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी खारड़िया तहसील नावां।
11. सुरेश कुमार पुत्र गुलाबचन्द जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी खारड़िया तहसील नावां।
12. गजेन्द्र कुमावत पुत्र प्रदीप कुमार जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी खारड़िया तहसील नावां।
13. मुकेश कुमावत पुत्र प्रदीप कुमार जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी खारड़िया तहसील नावां।
14. मन्जुदेवी पत्नि प्रदीपकुमार जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी खारड़िया तहसील नावां।
15. गोपीराम पुत्र हनुमानराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी खारड़िया तहसील नावां।
16. गोरधन पुत्र हनुमानराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
17. छोटीदेवी पुत्री हनुमानराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
18. दीनाराम पुत्र हनुमानराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
19. पन्नाराम पुत्र घीसाराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
20. बाबूलाल पुत्र बोदुराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
21. बिडदाराम पुत्र रूडाराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
22. बिल्लादेवी पुत्री हनुमानराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
23. भवरीदेवी पुत्री हनुमानराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
24. भागीरथराम पुत्र रूडाराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
25. मेघाराम पुत्र रूडाराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
26. मेघाराम पुत्र हनुमानराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
27. मनीराम पुत्र हनुमानराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
28. मांगीलाल पुत्र नरसीराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
29. दयालराम पुत्र मोहनराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
30. शेतानराम पुत्र मोहनराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
31. चेनाराम पुत्र मोहनराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
32. छोटूराम पुत्र मोहनराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
33. मंजुदेवी पुत्री मोहनराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 12:57:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

34. सुगनादेवी पुत्री मोहनराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
35. हंसादेवी पुत्री मोहनराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
36. मीरादेवी पत्नि मोहनराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
37. लिछमणराम पुत्र बोदुराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
38. सुरजमल पुत्र हनुमानराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
39. सुरेन्द्रकुमार पुत्र बोदुराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
40. सोहनीदेवी पत्नि हनुमानराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
41. बनाराम पुत्र बोदुराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
42. लाडादेवी पुत्री बोदुराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
43. सोनीदेवी पुत्री बोदुराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
44. रामादेवी पुत्री बोदुराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
45. पेफादेवी पुत्री बोदुराम जाति कुम्हार निवासी खारड़िया तहसील नावां।
46. शाखा प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा मीठड़ी तहसील नावां।
47. राज. सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां।
48. उप पंजीयक नावां।

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251ए उपधारा 2 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 7, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 29, 31, 37 ता 40

मुकदमां नम्बर :– 0122/2022 निर्णय दिनांक :– 24.11.2022

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि मौजा ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 376 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 377 रकबा 3.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.26 हैक्टर कुल रकबा 3.42 हैक्टर भूमि स्थित हैं जिसकी नकल जमांबदी व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये। उपरोक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की दर्ज चली आ रही हैं। राजस्व ग्राम खारड़िया के खसरा नम्बर 381 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 382 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 384 रकबा 1.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 533/380 रकबा 0.95 हैक्टर कुल रकबा 2.67 हैक्टर भूमि के अप्रार्थीगण खातेदार कृषक हैं। खसरा नम्बर 376, 377, 378 कुल रकबा 3.42 हैक्टर भूमि में प्रार्थी को अपनी कब्जा काश्त में स्थित कृषि भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 45 की भूमि ग्राम खारड़िया के खसरा नम्बर 532/380 रकबा 0.44 हैक्टर भूमि के उत्तरी सीव व पूर्वी सीव के सहारे सहारे व खसरा नम्बर 533/380 रकबा 0.95 हैक्टर व खसरा नम्बर 381 रकबा 0.40 हैक्टर भूमि के पूर्वी दिशा की तरफ 400 मीटर लम्बाई व [illegible] चौड़ाई का कुल 2000 वर्गमीटर अर्थात 0.2000 हैक्टर भूमि जो गै.मु. रास्ता से प्रार्थी की [illegible] खसरा नम्बर 376, 377, 378 कुल रकबा 3.42 हैक्टर भूमि में प्रवेश तक रास्ता [illegible] रास्ते का अंकन नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से मार्क ऐबीसीडी से [illegible] रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी को अपने खेत में पहुंचने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 45 की भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 12:57:50 IST
Reason: SelfAttested

से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता हैं। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग करने में सम्पूर्णतया वंचित हो रहे हैं तथा उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पहुंच हेतु वांछनीय एकमात्र रास्ते के सबंध में आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि के आस पास नजदीकी व अन्य कोई कटाणी रास्ता स्थित नहीं है। प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों की भूमि ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 376, 377, 378 कुल रकबा 3.42 हैक्टर भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 45 ग्राम खारड़िया के खसरा नम्बर 532/380 रकबा 0.44 हैक्टर भूमि के उत्तरी सींव व पूर्वी सींव के सहारे सहारे व खसरा नम्बर 533/380 रकबा 0.95 हैक्टर व खसरा नम्बर 381 रकबा 0.40 हैक्टर भूमि के पूर्वी दिशा की तरफ 400 मीटर लम्बाई का व 5 मीटर चौड़ाई का कुल 2000 वर्गमीटर अर्थात 0.2000 हैक्टर भूमि जो गै.मु. रास्ता से प्रार्थी की भूमि खेत खसरा नम्बर 376, 377, 378 कुल रकबा 3.42 हैक्टर भूमि में प्रवेश तक रास्ता दिलवाने का निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा मौका रिपोर्ट मंगवायी गई। अप्रार्थी संख्या 2 ता 18, 21, 22, 23, 26 ता 28, 30, 32 ता 36, 38, 40 ता 48 के तामील शुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद अनपुस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 ता 9, 11, 15, 16, 18, 27, 38, 40 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गुर्जर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 ता 9, 11, 15, 16, 18, 27, 38, 40 के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को मनसुख किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 29, 31, 37 ता 40 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गुर्जर ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि खसरा नम्बर 376, 377, 378 कुल रकबा 3.42 हैक्टर में आने जाने हेतु रास्ते का आवेदन किया गया हैं जबकि प्रार्थी पूर्व में एक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 172/21 प्रस्तुत किया गया जो कि न्यायालय हाजा से दिनांक 23.12.2021 को उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय पारित हो चुका हैं व प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 376, 377, 378 प्रार्थी भवानीसिंह व पूर्व में निर्णित प्रार्थना पत्र संख्या 172/21 के प्रार्थी नरेन्द्रसिंह की सहखातेदारी की स्थित चली आ रही हैं उक्त भूमि में 7 सहखातेदार की स्थित चली आ रही हैं जिसका आज दिनांक तक विधिवत भू–विभाजन नहीं हो रखा हैं। खसरा नम्बर 375, 379, 380, 534/381 कुल रकबा 2.93 हैक्टर सहखातेदार नरेन्द्रसिंह की 5/8 हिस्सा सहखातेदारी का दर्ज चला आ रहा हैं इस प्रकार उक्त भूमि के खसरा नम्बर 375, 380 की भूमि खसरा नम्बर 377 की भूमि के नजदीक लगती हैं। खसरा नम्बर 377 की पश्चिमी सीमा जो कि खसरा नम्बर 376, 377, 378 की भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी की दर्ज चली आ रही हैं। प्रार्थी द्वारा रास्ते का आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं जो कि बनता ही नहीं हैं रास्ते का आवेद[illegible] के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। इस प्रकार उक्त पत्रावली में वर्णि[illegible]से किसी प्रकार का रास्ता कायम नहीं किया जावें एवं न ही पूर्व में किसी प्रकार का [illegible] है इसलिए उक्त पत्रावली को मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें व [illegible] दिलाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 12:57:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

भू.अ. निरीक्षक मीठड़ी ने मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खारड़िया के खसरा नम्बर 376, 377, 378 में वादी भवानीसिंह 1/6 हिस्से की भूमि का खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं शेष भूमि में छीतर सिंह पुत्र शिवजीसिंह 1/6, नरेन्द्रसिंह उर्फ कैलाशसिंह पुत्र बालसिंह 1/6, बलवीरसिंह पुत्र बालसिंह 1/9, भंवरसिंह पुत्र बालसिंह 1/9, राजूसिंह पुत्र शिवजीसिंह 1/6, सुप्यारकंवर पत्नि जयसिंह 1/6 हिस्से के खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। ग्राम खारड़िया के खसरा नम्बर 376, 377, 378 में वादी भवानीसिंह की भूमि के कोई कटाणी रास्ता नहीं लगने के कारण खसरा नम्बर 376, 377, 378 में आने जाने हेतु वादी भवानीसिंह ने ग्राम खारड़िया के खसरा नम्बर 381, 533/380, 532/380 की पूर्वी दिशा की माठ के सहारे सहारे 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता चाहा हैं। उक्त खसरान की भूमि का नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट में पेश किया। खसरा नम्बर 376, 377, 378 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 399 सड़क से खसरा नम्बर 375 की पूर्वी दिशा की माठ तथा खसरा नम्बर 380 की पश्चिमी दिशा की माठ के सहारे सहारे रास्ता दिया जावें तो सबसे नजदीकी रहेगा जिसकी लम्बाई 206 मीटर हैं जिसे नजरी नक्शे में E से F दर्शाया गया हैं। खसरा नम्बर 381, 533/380, 532/380 की पूर्वी दिशा की माठ के सहारे सहारे मौके पर रास्ता हैं जो 14 मीटर (4.27 मीटर) चौड़ाई का चालू हालत में हैं तथा इसी रास्ते से वादी अपने सह खातेदारी खेत खसरा नम्बर 376, 377, 378 में आते जाते हैं उक्त रास्ते को नजरी नक्शे में लाल स्याही से ABCD से दर्शाया गया हैं। खसरा नम्बर 399 सड़क से आरम्भ होकर खसरा नम्बर 381 की पूर्वी दिशा की माठ के सहारे सहारे नक्शे लढे अनुसार रास्ते की लम्बाई 64 मीटर हैं खसरा नम्बर 381 की पूर्वी सीमा पर 14 फीट चालू रास्ते के दोनो तरफ पके मकानात बने हुए है। खसरा नम्बर 533/380 की पूर्वी दिशा की माठ के सहारे सहारे रास्ते की लम्बाई 132 मीटर हैं खसरा नम्बर 533/380 की पूर्वी सीमा पर 14 फीट चालू रास्ते को छोडकर खातेदारों ने पक्की दिवार बना रखी हैं। खसरा नम्बर 532/380 की पूर्वी व उत्तरी दिशा की माठ के सहारे सहारे रास्ते की लम्बाई 80 मीटर हैं इस प्रकार रास्ते की कुल लम्बाई 276 मीटर बनती हैं। अतः 276 मीटर लम्बाई व 14 फीट(4.27 मीटर) चौड़ाई का रास्ता दिया जाने से रास्ते का कुल क्षैत्रफल 1179 वर्गमीटर बनता हैं। अतः खसरा नम्बर 378 में बने वादी के रहवासी मकान में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित हैं।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी अपनी सहखातेदारी भूमि मौजा ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 376 रकबा 0. 02 हैक्टर, खसरा नम्बर 377 रकबा 3.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.26 हैक्टर कुल रकबा 3.42 हैक्टर भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या ... की खातेदारी भूमि ग्राम खारड़िया के खसरा नम्बर 532/380 रकबा 0.44 हैक्टर भूमि ... उत्तरी सीव व पूर्वी सीव के सहारे सहारे व खसरा नम्बर 533/380 रकबा 0.95 हैक्टर ... खसरा नम्बर 381 रकबा 0.40 हैक्टर भूमि के पूर्वी दिशा की तरफ 400 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई का कुल 2000 वर्गमीटर अर्थात 0.2000 हैक्टर भूमि जो गै.मु. रास्ता से प्रार्थी की भूमि खेत खसरा नम्बर 376, 377, 378 कुल रकबा 3.42

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 12:37:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

हैक्टर भूमि में प्रवेश तक रास्ता चाहा गया हैं। अप्रार्थीगण ने जाहिर किया कि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 376, 377, 378 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 375 में से नजदीकी रास्ता लगता हैं तथा प्रार्थी ने बिना विधिवत भू–विभाजन करवाये ही सहखातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया हैं इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज करने का निवेदन किया हैं।

भू.अ. निरीक्षक मीठड़ी के फर्द मौका रिपोर्ट के पैरा संख्या 4 के अनुसार खसरा नम्बर 376, 377, 378 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 399 सड़क से खसरा नम्बर 375 की भूमि(नजरी नक्शे में मार्क EF) में से नजदीकी रास्ता लगता हैं जिसकी लम्बाई 206 मीटर हैं। इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा नम्बर 381, 533/380, 532/380 नजरी नक्शे में मार्क ABCD न्यूनतम लघूतम नहीं हैं। प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 376, 377, 378 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 375 में से फर्द मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शे में अंकित मार्क E से F न्यूनतम रास्ता नहीं लेकर नजरी नक्शे में अंकित मार्क ABCD चाहते हैं जो कि न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं हैं। भू.अ. निरीक्षक मीठड़ी के फर्द मौका रिपोर्ट के पैरा संख्या 5 के अनुसार खसरा नम्बर 381, 533/380, 532/380 की पूर्वी दिशा की माठ के सहारे सहारे मौके पर रास्ता है जो 14 मीटर (4.27 मीटर) चौड़ाई का चालू हालत में हैं तथा इसी रास्ते से वादी अपने सहखातेदारी खेत खसरा नम्बर 376, 377, 378 में आते जाते हैं उक्त रास्ते को नजरी नक्शे में लाल स्याही से मार्क ABCD से दर्शाया गया हैं जिसकी लम्बाई 276 मीटर हैं। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौसमी नहीं हैं और आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध हैं। इसलिए उक्त प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 एवं राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 के प्रावधानुसार किया जाना उचित होगा। प्रार्थी ने अपनी सहखातेदारी में दर्ज खेत खसरा नम्बर 376, 377, 378 भूमि का विधिवत भू–विभाजन भी नहीं करवाया गया हैं तथा न ही खसरा नम्बर 376, 377, 378 भूमि में दर्ज समस्त सहखातेदारान की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए उपधारा 2 के प्रावधानों के तहत नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं।

यह आदेश आज दिनांक 24.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 12:57:50 IST
Reason: SelfAttested